

जोडल: - मरोदा रक



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला-दुर्ग (छ.ग.)

मैत्री विद्या निकेतन, रिमाली गिल्दाई
जिला-दुर्ग

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र


Manager
Maitri Vidya Niketan
Risali Sector, Bhilai


Principal
Maitri Vidya Niketan
E.M.Sr. S.S., Risali, Bhilai (C.G.)
School Code: 15158

दिनांक - 05/10/2021 से 04/10/2024

1
2



Social Studies



Social Interaction



Language Arts



Music

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक / 111 नं / माच्यता / 2021

दुर्ग, दिनांक 20/06/2021

प्रति,

प्रबंधक,

श्री सुप्रभात लक्ष्मी कलेक्टर
रसो खोसला, नेवई जिलाई

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए माच्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 22/06/2021 के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरांत में श्री जिला शिक्षा अधिकारी, रसो खोसला, जिला दुर्ग (विद्यालय का नाम यथा सहित) को तारीख 05/10/2021 से 04/10/2024 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा एक से छह तक माच्यता प्रमाण-पत्र के लिए अंतिम माच्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है :-

1. माच्यता की स्वीकृत विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवें के पश्चात् माच्यता/संबद्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
 2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिशिष्ट-एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिशिष्ट-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
 3. विद्यालय, कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25% प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
 4. पैरा 03 में निर्दिष्ट बच्चों के लिए विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 5. सोसायटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता/पिता या संरक्षक को किसी स्कीमिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
 6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
- एक प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- दो किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
- तीन प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- चार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- पांच अधिनियम के उपबंधों 'च' के अनुसार निःशुल्क/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

Manager

Shri Vidya Niket
Risali Sector, Bhi

- छ: अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परंतु यह और भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेंगे।
- सात अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विविदिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और
- आठ अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिदिष्ट विद्यालय के मानकों और संतियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-
- | | |
|--|-------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | : 65000 वर्गमीटर |
| कुल निर्मित का क्षेत्रफल | : 37000 वर्गमीटर |
| खेल के मैदान का क्षेत्रफल | : 39230 वर्गमीटर |
| कक्षाओं की संख्या | : 58 कमरे, 03 हॉल |
| प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-भण्डार के लिए कक्ष | : 06 कमरे |
| बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय | : 22 + 22 |
| पेयजल सुविधा | : उपलब्ध है |
| मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई | : उपलब्ध है |
| बाधारहित पहुँच | : उपलब्ध है |
- अध्यापन घटन सामग्री / क्रीड़ा खेलकूद के उपस्कारों / पुस्तकालय की उपलब्धता :
9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय की सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकव्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरोक्षा की जावी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक ...102/202/02..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर आपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थायी प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।


Maitri Vidya Niketan
Risali Sector, Bhilai


Maitri Vidya Niketan
E.M.Sr. S.S., Risali, Bhilai (C.G.) जिला शिक्षा अधिकारी
School Code: 15158

दुर्ग



चलो चलाएँ
शिक्षा गुणवत्ता अभियान
और बढ़ाएँ
हम अपना सम्मान



[Signature]

Manager
Maitri Vidya Niketan
Risali Sector, Bhilai

[Signature]

Principal
Maitri Vidya Niketan
E.M.Sr. S.S., Risali, Bhilai (C.G.)
School Code: 15158

